कार्यालय कलेक्टर, जिला राजनांदगांव (छ०ग०)

-:: सार्वजनिक सूचना ::-

क्रमांक / 4557 / भू–अर्जन / भूक्रनी / 2016 राजनांदगांव, दिनांक 16 / 06 / 2017

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति, 2016 के तहत सूखानाला बैराज परियोजना के अंतर्गत गनेरी सब–माईनर नहर निर्माण कार्य हेतु ग्राम गनेरी, प.ह.नं. 16 रा.नि.मं. एवं तहसील डोंगरगांव, जिला राजनांदगांव के निम्नलिखित कृषकों / भू–धारकों की भूमि की आवश्यकता होने के कारण कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव, जिला राजनांदगांव के पक्ष में क्रय किए जाने पर विचार किया जा रहा है :–

क्रं.	कृषक / भू–धारक का नाम / पिता, पति का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा हे.मे.	क्रय हेतु प्रस्तावित रकबा हे.मे.	भूमि की किस्म
1	2	3	4	5	6
1	राम लाल पिता लीलार जाति तेली सा.देह भूमि	19 / 6	0.235	0.052	असिंचित
2.	सीवन आ. दौलत जाति कंवर सा. देह भूमि	153 / 7	0.417	0.012	असिंचित
3.	सुखराम पिता शीतल जाति कवर, सा. देह. भूमि	150 / 2	0.210	0.069	असिंचित
	योग	03	0.862	0.133	—

उपरोक्त दर्शित भूमि के स्वत्व के विषय में किसी को कोई आपत्ति हो, तो वह 15 (पन्द्रह) दिवस के भीतर स्वतः अथवा अधिकृत अभिकर्ता के माध्यम से आधार सहित मेरे समक्ष लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

कलेक्टर,
जिला–राजनांदगांव
15/6/17

पृ0क्रमांक / 4557 / भू–अर्जन / भूक्रनी / 2016 राजनांदगांव, दिनांक 16 / 06 / 2017

प्रतिलिपि :–

1– प्रभारी अधिकारी, जिला नाजिर शाखा, जिला कार्यालय राजनांदगांव को कार्यालय के सूचना पटल में चस्पा करने हेतु अग्रेषित।

2– अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) डोंगरगांव को सूचनार्थ अग्रेषित।

3– तहसीलदार, डोंगरगांव को 06 प्रतियों के साथ अग्रेषित। कृपया उपरोक्त सार्वजनिक सार्वजनिक सूचना दो गवाहों के समक्ष अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, डोंगरगांव, तहसील कार्यालय, डोंगरगांव तथा संबंधित ग्राम पंचायत, गनेरी के कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा कर प्रदर्शित करावें, तथा शेष एक प्रति मय प्रतिवेदन के जारी दिनांक से एक सप्ताह के भीतर इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें।

4– जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, राजनांदगांव को उपरोक्त सार्वजनिक सूचना जिले की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु अग्रेषित।

5– आवेदक विभाग कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव, जिला राजनांदगांव को सूचनार्थ अग्रेषित। कृपया उक्त सार्वजनिक सूचना एक स्थानीय और एक राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित कराकर, समाचार पत्र की दो–दो प्रतियॉ इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें।

13

कलेक्टर,
जिला– राजनांदगांव.
15/6/17